

25.10.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहते हुए। वादी वकील श्री मनोज अरोडा द्वारा फर्द अहकाम पर अंकन किया की पार्टी मुकदमा आगे नही चलाना चाहते। वादी वकील ने **NO PRESS** अंकन किया। वादी वकील के **NO PRESS** करने पर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत दाखिल दफतर हो।



सहायक क्लर्क
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

